प्रेस नोट दिनांक 13/01/2025
थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

थाना भोजीपुरा #bareillypolice द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए लूटे हुए 70000/- रूपये व घटना में प्रयुक्त बुलट मोटर साईकिल, हेलमेट, बैग व तीन मोबाईल बरामद ।

थाना भोजीपुरा बरेली पर दिनांक 06/01/2025 को वादी मुकदमा श्री शिवचरन पुत्र श्री नरायनदास निवासी ग्राम पैगा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली द्वारा सूचना देते हुए बताया कि 2.00 बजे बैक सेमीखेड थाना देवरनियां क्षेत्र से 70000/- रूपये निकलकर अपने घर जाने के लिये सवारी का इन्तजार कर रहा था, तभी समय करीब 3.00 बजे एक लडका बुलेट मोटरसाईकल पर आकर रूका और दभौरा कितनी दूर है पूछने लगा तो मैने बताया कि पास में ही है फिर कहा कि तुम किधर जाओगे तो मैने कहा कि जादौपुर जाऊंगा मुझे यह कहकर कि तुम्हें रास्ते में छोड दूंगा। अपने साथ बुलट मोटरसाईकिल पर बैठा लिया । लगभग 1 कि0मी0 आगे चलकर मुझे डरा धमकाकर यह कहते हुए कि मेरे आदमी चारों तरफ लगे हुए तुझे गोलियों से छलनी कर देगें जो भी तेरे पास है वह मुझे दे दे। यह करकर मुझसे 70000/-रूपये छीन लिये । जिसके संबंध में थाना भोजीपुरा पर मु0अ0सं0 18/25 धारा- 309(4) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना का शीघ्र खुलासा करते हुए प्रभारी निरीक्षक द्वारा मय फोर्स के दिनांक 13/01/2025 को समय 12.20 बजे वसुधरन ढाल के पास वादी मुकदमा श्री शिवचरन पुत्र श्री नरायनदास निवासी ग्राम पैगा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली को उसके साले हरिओम पुत्र कान्ता प्रसाद निवासी हरहरपुर थाना बहेडी जिला बरेली हाल सीएमटी कालोनी पार्वती विहार हलद्वानी उत्तराखण्ड को घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बुलट नं0 UK 04 A 8549 मय हेलमेट ,बैग व लूटे हुए 70000/- रूपये, घटना में प्रयुक्त तीन मोबाईल फोन के पकड लिये। विवेचना, पूछताछ व डिजीटल साक्ष्य से लूट का होना नहीं पाया गया । साला-बहनोई ने मिलकर षडयन्त्र कर झूठा मुकदमा लिखाकर मिथ्या साक्ष्य गढे है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 61(2)/217/231 बीएनएस में विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>विवरण पूछताछ –</u>

वादी मुकदमा शिवचरन उर्फ सुनील पुत्र श्री नरायनदास निवासी ग्राम पैगा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली व हरिओम पुत्र कान्ता प्रसाद निवासी हरहरपुर थाना बहेडी जिला बरेली हाल सीएमटी कालोनी पार्वती विहार हलद्वानी उत्तराखण्ड ने संयुक्त रूप से की गयी पूछताछ पर बताया कि हम दोनों आपस में साला –बहनोई है । शिवचरन उर्फ सुनील ने बताया कि हरिओम मेरा साला है, हरिओम हलद्वानी में पैथोलॉजी लेब चलाता है । मै कस्बा जादौपुर में प्रिन्टिग प्रेस चलाता हूं । मेरे गांव पैगा में लगभग 20 बीघा जमीन है जिसमें 15 बीघा जमीन में मैने धान की खेती अपने गांव के ही बटाईदार नोनीराम पुत्र खेमकरण कश्यप से करवायी थी, जिसमें 48 कुन्तल 18 किलो धान हुआ था। जिसका पेमेन्ट सेमीखेडा बैक में 94728/-रूपये आया था। मुझे बटाईदार को आधा 47364/-रू देना था। बटाईदार तगादा कर रहा था। मैने अपनी पत्नी श्रीमती राजेश्वरी के नाम से 05/02/2024 को 100 गज का प्लाट कस्बा किच्छा जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड में लिया था। जिसमें मुझे रूपयों की आवश्यकता था । जिसके लिये मैने अपनी पत्नी के जेबर दो अंगूठी, एक जोडी झाला, एक पेन्डल व एक हार कस्बा बहेडी में जय जगदम्बे ज्वैलर्स श्री राजेश पुत्र जंग बहादुर निवासी मौहल्ला नजरगंज कस्बा व थाना बहेडी जिला बरेली से एक लाख रूपये 1.5 प्रतिशत के ब्याज पर ले रखा था । जिसमें से मैने 27/08/2024 को 44000/- रूपये मय ब्याज के देकर एक जोडी झाले व पेन्डल छुडा लिये थे। मुझे 66000/-रू और सुनार को देने थे । सुनार भी तगादा कर रहा था और ब्याज भी बढ रहा था । जिसके लिये मैने अपने साले हरिओम के साथ मिलकर षण्डन्त्र कर योजना बनायी

कि बैक से रूपये निकालकर हरिओम को देकर हलद्वानी भेज दूंगा और लूट का मुकदमा लिखाकर बटाईदार को कह दूंगा कि मेरे रूपये लुट गये, जिससे मुझे बटाईदार को रूपये नहीं देने पडेगें। पूरे रूपये मै सुनार को देकर अपनी बकाया जेबर छुडवा लूंगा और मेरा कर्ज भी उतर जायेगा। इसी योजना के अनुसार मैने 06/01/2025 को अपनी साले हरिओम को फोन करके हलद्वानी से बुलवा लिया और बैक से करीब आधा कि0मी0 दूर खडा कर दिया ताकि वह बैक के कैमरों में न आये और मैने लगभग 2.45 बजे बैक से 70000/-रू निकाले और अपने साले को फोन कर दिया। मुझे मेरा साला हरिओम वसुधरन ढाल से 200 मीटर आगे मिला जो हेलमेट लगाये था, और बुटल मो0सा0 पर था। मै उसके पीछे बैठ गया और चलते-चलते ही उसके बैग में बैंक से निकाले हुए एक 500 व दो 100-100 के नोटों की गड्डी डाल दी और कुछ दूर साथ चलकर मै मो0सा0 रूकवाकर उतर गया। मेरा साला हरिओम मो0सा0 वापस घुमाकर हरद्वानी चला गया। मैने बैंक में वापस जाकर बैंक वालों को बताया कि मेरे 70000/-रू बुलेट मो0सा0 सवार ने लूट लिये और बैक के कैमरे देखने का नाटक किया और फिर थाने देवरनियां गया। मेरे साथ थाना देवरनियां पुलिस आ गयी, घटना थाना भोजीपुरा की होने के कारण थाना भोजीपुरा पुलिस बुलवा ली पुलिस ने मेरी मौजूदगी में केमरे देखे व मुझसे पूछताछ की। कई दिन बीत गये मैने सोचा मामला ठन्डा हो गया आज मैने अपने साले को रूपये लेकर बुलवाया था कि मै रूपये ले जाकर सुनार को दे दूगां। लेकिन आपने मुझे व मेरे साले को रूपयों सहित पकड लिया। मेरी योजना फेल हो गयी। दोनों ने स्वीकार करते हुए कहा कि हमसे बहुत बडी गलती हो गयी।

नाम पता नामित

1. शिवचरन उर्फ सुनील पुत्र श्री नरायनदास निवासी ग्राम पैगा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

2.हरिओम पुत्र कान्ता प्रसाद निवासी हरहरपुर थाना बहेडी जिला बरेली हाल सीएमटी कालोनी पार्वती विहार हलद्वानी उत्तराखण्ड।

बरामदगी का विवरण

1. 70000/-रूपये
2. घटना में प्रयुक्त बुलट मोटर साईकिल
3.हेलमेट
4.बैग
5. तीन मोबाईल

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवीन सोलंकी थाना भोजीपुरा बरेली।
2.निरीक्षक अपराध श्री श्रवण कुमार यादव थाना भोजीपुरा बरेली।
3.व0उ0नि0 श्री तेजपाल सिंह थाना भोजीपुरा बरेली।
4.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना भोजीपुरा बरेली।
5.उ0नि0 श्री तनवेश कुमार थाना भोजीपुरा बरेली।
4.हे0का0 99 प्रशान कुमार थाना भोजीपुरा बरेली।
5.का0 94 विशु थाना भोजीपुरा बरेली।
6.का0 3265 अंकित कुमार थाना भोजीपुरा बरेली।